

मध्यप्रदेश विधान सभा पत्रक भाग-दो.

सोमवार, दिनांक 26 अगस्त, 2019 (भाद्र ४, १९४१)

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019
(क्रमांक 17 सन् 2019) पर निर्मित प्रवर समिति

सभा में दिनांक 24 जुलाई, 2019 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019) प्रवर समिति को सौंपा गया है. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 68 के उपनियम (1) तथा (2) के अधीन निम्नानुसार प्रवर समिति का गठन किया गया है :-

- (1) श्री लक्ष्मण सिंह
- (2) श्री बिसाहूलाल सिंह
- (3) श्री अजय विश्नोई
- (4) श्री भूपेन्द्र सिंह
- (5) श्री राजवर्धन सिंह 'दत्तीगांव'
- (6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
- (7) श्रीमती झूमा सोलंकी
- (8) श्री रामेश्वर शर्मा
- (9) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री
- (10) श्री पी.सी. शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य को उपर्युक्त समिति का सभापति नियुक्त किया है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा